मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग,
मंत्रालय,

क्रमांक एफ 3–58/2016/18–5 भोपाल दिनांक 12/01/2017

प्रति,

1. कलेक्टर,
   जिला–बुरहानपुर
2. उप संचालक,
   नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय,
   खण्डवा ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत बुरहानपुर
4. आयुक्त
   नगर पालिक निगम
   बुरहानपुर ।

विषय :–बुरहानपुर विकास योजना 2021 में उपांतरण बाबत्।

राज्य शासन ने बुरहानपुर विकास 2021 में उपांतरण का निर्णय लिया है जिसकी सूचना जनसामान्य की जानकारी के लिये सूचना दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया जा रहा है।

नियमानुसार संलग्न सूचना को 15 दिन की समयावधि के लिये आपके कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कराकर विभाग को सूचित कराने का कष्ट करें।

संलग्न :– यथोपरि

Sd/-
(सुप्रिया पेंडके)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

पृ0क0–एफ 3–58/2016/18–5 भोपाल दिनांक 12/01/2017

प्रतिलिपि :–

आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय, भोपाल को संचालनालय की वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु सूचना की प्रति के साथ अग्रेषित।

Sd/-
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

संचालनालय
नगर तथा ग्राम निवेश
क्र. 70
दि. 13/01/17
शाखा विकास योजना
Add. Dr. T

DD TC 28/01/17

कृ. Website पर प्रकाशन कराये

Government of Madhya Pradesh
Urban Development And Housing Department
MANTRALAYA

Notice

Bhopal, Dated 12/01/2017

No.F-3-58/2016/18-5 :: In exercise of the Powers Conferred by Clause (a) of Sub section (1) of section 23-A of The Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, (Sanshodhit) 1973 (No.1 of 2012), The State Government hereby cancel's the earlier departmental Notification F3-58/2016/18-5 Dated 25-10-2016 and hereby notify the fresh proposal of following modifications for public information, in the Burhanpur Development Plan, 2021 as specified in the schedule hereunder, namely :-

SCHEDULE

No.	**Village**	**Khasara No.**	**Area (In Sq.mt.)**	**Land use specified in the development plan**	**Modified land use after modifications**
1	2	3	4	5	6
1	Gram-Mohammad pura	Part of 218	1040	Proposed Ring Road No.-2 (45.00 Meter)	Public and Semi Public
		Part of 219	450	Proposed Ring Road No.-2 (45.00 Meter)	Public and Semi Public
		Part of 226/1	4008	Proposed Ring Road No.-2 (45.00 Meter)	Public and Semi Public
		Part of 227	450	Proposed Ring Road No.-2 (45.00 Meter)	Public and Semi Public
		Part of 228/1	5850	Proposed Ring Road No.-2 (45.00 Meter)	Public and Semi Public
		Part of 228/2	1800	Proposed Ring Road No.-2 (45.00 Meter)	Mixed
		Part of 231	2700	Proposed Ring Road No.-2 (45.00 Meter)	Mixed
		Part of 246	2025	Proposed Ring Road No.-2 (45.00 Meter)	Public and Semi Public
		Part of 247	8100	Proposed Ring Road No.-2 (45.00 Meter)	Public and Semi Public
		Part of 248	960	Proposed Ring Road No.-2 (45.00 Meter)	Mixed
2	Gram-LalBagMal	Part of 225	7650	Proposed Ring Road No.-2 (45.00 Meter)	Mixed
		Part of 226	90	Proposed Ring Road No.-2 (45.00 Meter)	Mixed
		Part of 228	13050	Proposed Ring Road No. (45.00 Meter	Mixed
		Part of 229	6750	Proposed Ring Road No. (45.00 Meter	Mixed
		Total	**54923 Sq.Mts.**		

Details of The Proposed modifications shall be available for inspection to the public in the office of Deputy Director, Town and Country Planning, Khandwa as well as on the web site. www.mptownplan.nic.in for a period of 15 days from the date of publication of this notice.

Any objection/suggestions may be furnished in writing within 15 days from the date of publication of this notice in the daily news papers to the Under Secretary, Government of Madhya Pradesh, Urban Development and Housing Department, Mantralaya, Bhopal. Objections and Suggestions received before the expiry of the period specified above may be considered by the State Government.

By order and in the name of the
Governor Of Madhya Pradesh,

(C.K.Sadhav)
Deputy Secretary
Government of Madhya Pradesh
Urban Developement And
Housing Department

12/1/2017

मध्य प्रदेश शासन,
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय

सूचना

भोपाल, दिनांक 12/01/2017

कमांक एफ–3–58/2016/18–5:: मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक–1 सन् 2012), की धारा 23–क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन राज्य शासन एतद् द्वारा पूर्व विभागीय सूचना एफ–3–58/2016/18–5 दिनांक 25.10.2016 को निरस्त किया जाता है व सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य सरकार नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट बुरहानपुर विकास योजना 2021 में नया उपांतरण प्रस्तावित करती है :–

उपातंरण का विवरण

सं. क	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	विकास योजना अनुसार भू–उपयोग	उपातंरण अनुसार प्रस्तावित भू–उपयोग
1.	2.	3.	5.	6.	7.
1	मोहम्मदपुरा	218 का भाग	1040	प्रस्तावित रिंग–रोड क्रं.–2 (45.00 मीटर)	सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक
		219 का भाग	450	प्रस्तावित रिंग–रोड क्रं.–2 (45.00 मीटर)	सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक
		226/1 का भाग	4008	प्रस्तावित रिंग–रोड क्रं.–2 (45.00 मीटर)	सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक
		227 का भाग	450	प्रस्तावित रिंग–रोड क्रं.–2 (45.00 मीटर)	सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक
		228/1 का भाग	5850	प्रस्तावित रिंग–रोड क्रं.–2 (45.00 मीटर)	सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक
		228/2 का भाग	1800	प्रस्तावित रिंग–रोड क्रं.–2 (45.00 मीटर)	मिश्रित
		231 का भाग	2700	प्रस्तावित रिंग–रोड क्रं.–2 (45.00 मीटर)	मिश्रित
		246 का भाग	2025	प्रस्तावित रिंग–रोड क्रं.–2 (45.00 मीटर)	सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक
		247 का भाग	8100	प्रस्तावित रिंग–रोड क्रं.–2 (45.00 मीटर)	सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक
		248 का भाग	960	प्रस्तावित रिंग–रोड क्रं.–2 (45.00 मीटर)	मिश्रित
2	लालबागमाल	225 का भाग	7650	प्रस्तावित रिंग–रोड क्रं.–2 (45.00 मीटर)	मिश्रित
		226 का भाग	90	प्रस्तावित रिंग–रोड क्रं.–2 (45.00 मीटर)	मिश्रित
		228 का भाग	13050	प्रस्तावित रिंग–रोड क्रं.–2 (45.00 मीटर)	मिश्रित
		229 का भाग	6750	प्रस्तावित रिंग–रोड क्रं.–2 (45.00 मीटर)	मिश्रित
	योग :–		**54923 वर्गमीटर**		

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय खण्डवा तथा www.mptownplan.nic.in वेबसाईट पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध होंगे।

प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हों तो वह अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियां या सुझाव जो ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हों, पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(सी.के.साधव)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

12/1/2017